प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के पत्र संख्या-3456/यूपीयूएमएस/कुलसचिव/2016-17 दिनांक 17 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-113/2016/71-2-16-एस-20/2013 दिनांक 02-9-2016 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 463.2829 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष अब तक रू0 261.9862 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014	15.0000
6/3521/71-2-14-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 20 नवम्बर, 2014	3.1500
26/2015/926/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 17 मार्च, 2015	9.9351
33/2015/1090/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2015	2.0864
90/2015/3758/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	63.2000
91/2015/3983/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	13.2700
51/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	4.4171
52/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	0.9276
94/2016/2731/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई 2016	124.000
95/2016/2814/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई, 2016	26.000
योग-	**261.9862 करोड**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत उक्त 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु रू0 1,05,19,60,000/- (रूपया एक अरब पांच करोड उन्नीस लाख साठ हजार मात्र) की की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
4) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 31/2017/836(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, इटावा ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) कुलपति, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
5) वित्त अधिकारी, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।